

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RASHTRIYA ISPAT NIGAM LIMITED

विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र VISAKHAPATNAM STEEL PLANT

विशाखपट्टणम VISAKHAPATNAM – 530031

मानव संसाधन विभाग – नियम व नीति अनुभाग

HR DEPARTMENT – POLICIES & RULES SECTION

सं.No. HR/RR/07(4)/2020/e-dak/102

दि.Dt. 02.05.2020

विविध परिपत्र MISCELLANEOUS CIRCULAR No.06/20

विषय : कोविड-19 की फैलाव शृंखला को तोड़ने के लिए 'आरोग्य सेतु' एप्प के प्रभावी उपयोग के संबंध में।

Sub: Effective use of "Arogyasetu" App for breaking the chain of transmission of COVID-19 – reg.

विविध परिपत्र सं.02/20 दि.08.04.2020 एवं 03/20 दि.09.04.2020 के क्रम में कोविड-19 की फैलाव शृंखला को तोड़ने हेतु संविदा श्रमिक सहित सभी कर्मचारी और हितधारक निम्नलिखित निदेशों का सख्ती से अनुपालन करें।

Further to the Misc. Circular nos. 02/20 dated 08-04-2020 and 03/20 dated 09-04-2020, the following directions may strictly be followed by all the employees and stakeholders including contract labour to break the chain of transmission of COVID-19:

- i. कंपनी में कार्यरत संविदा श्रमिक सहित सभी कर्मचारियों और हितधारकों को अपने मोबाइल फोन पर 'आरोग्यसेतु' एप्प तुरंत डाउनलोड करना होगा।
All the employees and stakeholders including contract labour working in the Company should download 'Arogyasetu' App on their mobile phones, immediately.
- ii. कार्यालय के लिए निकलने से पहले 'आरोग्यसेतु' एप्प पर अपनी स्थिति की अनिवार्यतः समीक्षा करें और एप में 'सुरक्षित' अथवा 'कम जोखिम' की स्थिति दिखाने पर ही बाहर निकलें।
Before starting for office, they must review their status on 'Arogyasetu' and commute only when the app shows 'safe' or 'low risk' status.
- iii. संबद्ध सभी व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें एप्प में ब्लूटूथ की गणना के आधार पर 'मध्यम' अथवा 'उच्च जोखिम' ('संक्रमित व्यक्ति के साथ हाल ही में संपर्क') का संदेश आता है, तो वे कार्यालय में आएँ और 14 दिनों तक अथवा स्थिति के 'सुरक्षित' या 'कम जोखिम' के आने तक अपने आपको अलग रखें।
All the concerned are advised that in case the App shows a message that he / she has a 'moderate' or 'high risk' calculated on the basis of Bluetooth proximity ("recent contact with infected person"), he / she should not come to office and self-isolate for 14 days or till the status becomes 'safe' or 'low risk'.
- iv. सभी विभागाध्यक्ष अपने संबद्ध विभागों में उपर्युक्त निदेशों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करें।
All the HODs should ensure that the above directions are strictly followed in their respective Departments.



(देबाशीष रे Debasish Ray)

कार्यपालक निदेशक (मा सं) ED(HR)

वितरण Distribution: मानक Standard

यह परिपत्र This Circular is also available at:

<http://www.vspsite.org:86/hr/CorporatePersonnel/RulesandPolicies/MiscellaneousCirculars.aspx> में उपलब्ध है।